an>

Title: Need for a bench of Allahabad High Court at Meerut.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : मैडम, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान लगभग 7 करोड़ लोगों के दर्द की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां लगभग 22 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। 22 करोड़ की जनसंख्या पर एक इलाहाबाद हाइकोर्ट है और उसका 13 जिलों के लिए एक लखनऊ बेंच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां लगभग 7 करोड़ लोग रहते हैं, 22 जिले आते हैं, उनको इलाहाबाद जाने के लिए 500 कि.मी. से लेकर 750 कि.मी. की यात्रा करनी पड़ती है। वहां लोगों को न सस्ता न्याय है, न सुलभ न्याय है और दूसरे, इलाहाबाद हाइकोर्ट में माननीय कानून मंत्री चले गये। 160 वैकेंसी हाइकोर्ट जजेज की इलाहाबाद हाइ कोर्ट के अंदर है क्योंकि हाइकोर्ट जज हैं, अच्छे एडवोकेट मिलते नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि 1955 से लेकर डॉ.सम्पूर्णानंद जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी थे, राम नरेश यादव जी थे, विश्वनाथ पूताप सिंह जी थे, उसके बाद मायावती जी थीं, सब लोगों ने भारत सरकार को लिखकर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाहाबाद हाइकोर्ट की बैंच बनाई जाए। इसके लिए बार बार संघर्ष हो रहे हैं। बार बार स्ट्राइक पर लोग बैठे हैं और आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के अंदर इन 22 जिलों के अंदर 52 प्रतिशत जो केसेज हैं, वे इस क्षेत्र के पेंडिंग हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बैंच मेरठ के अंदर बनाई जाए। वर्ष 1857 में मेरठ में देश का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था और यह देश का बहुत पुराना नगर है। भारत सरकार को अधिकार है कि रिआर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट के अंतर्गत वहां के चीफ जस्टिस की संस्तुति के बिना भी बैंच खोल सकती है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह सदन दोबारा दो बजकर दस मिनट पर मिलने के लिए स्थगित किया जाता है।

13.10 hours

The Lok Sabha then adjourned for lunch tillTen Minutes past

Fourteen of the Clock.

14.13 hours

The Lok Sabha re-assembled at

Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.